उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-49/2016/1295/92-2-16-71(जांच)/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 29 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रखण्ड-चित्रकूट में माह अगस्त,2015 में महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में अपने अधीनस्थ कार्यो एवं कार्मिकों पर नियंत्रण न रखने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन न करने, उ0प्र0 शासन द्वारा परिचालित दिशा-निर्देशों, वित्तीय नियमों, शासन के आदेशों का उल्लंघन करने एवं कर्मचारी आचरण नियमावली,1956 में इंगित नियमों के विपरीत आचरण करते हुए गम्भीर अनियमितताएं करने, शासकीय क्षति पहुंचाने तथा अधिशासी अभियंता के रूप में सौपे गये दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट (वर्तमान में प्रखण्ड-अलीगढ) के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (02 प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या- 49/2016/1295/92-2-16 तददिनांकित।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-884-1085/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/2016-17 दि0 13.07.2016 के क्रम में।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली को आरोप पत्र की 02 प्रति सहित।

3- श्री बालकृष्ण, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट (वर्तमान में प्रखण्ड-अलीगढ) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in